



C/c of Correction Slip in Mutation Case No. 331/2012-13
Order dated 06.07.2012.

सरकार में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रैयतों) का नामान्तरण (दाखिल-खारिज) दिखाने वाला शुद्धि पत्र

जिला- देवघर अनुमण्डल- देवघर अंचल- देवघर हल्का- 11 A इस्टेट का नाम- काठखण्ड

क्रमांक	नामान्तरण केस संख्या। (पंजी 27 में)	गाँव	धाना और धाना संख्या	नामान्तरण से सम्बन्धित अभिवृत्ति की संख्या	नामान्तरण मंजूर करने वाला अधिकार और आदेश की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होना है- विक्री, दान, विनियम, उत्तराधिकार या बंटवारा हुआ है ?	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा ब्याँरा	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजी किस तारीख को रखा गया था	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	331 2012-13	श्यामगंज कास्टल राउन	देवघर 413	ज० न० 116/3278	अं० अधिकारी देवघर आदेश दिनांक 6/7/2012	विक्री	पूर्व जमा रैयत- (सुशील) देवघर कोर ज० न०- 116/3278 दाग न०- T.P.P. No. 914, 915 कुल रकवा- 3796.5 वर्गफीट लगान- 12.00 रु० नई होल्डिंग में दर्ज किये जानेवाले रैयत का नाम- श्री सरोज कुमार मिश्रा पिता/पति- स्व. राधानाथ मिश्रा पता- स० - बहरवा धाना- सिकन्दरा, जिला- जमुई दाखिल-खारिज की जानेवाली जमीन का रकवा- 3400 वर्गफीट वार्षिक लगान- 12.00 रुपये अलावे सेस वसूलनीय। हल्का कर्मचारी आदेश का अनुपालन करें।		



Attested
M. K. Mishra
23/5/18
Manoj Kumar Mishra
Notary Public
Deoghar (Jharkhand)

प्रतिलिपि :- कर्मचारी, ह० स०..... 11 A की जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाती है।

नकल किया

मिलान किया

07.07.12

07/12

सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
अंचल कार्यालय, देवघर
1872 के अधिनियम 1 की धारा
76 के तहत

अंचल अधिकारी,
देवघर